The Chhattisgarh Religious Freedom Act, 2026

Act No. 6 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2026 — चैत्र 20, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 अप्रैल 2026

क्रमांक 767 / डी. 50 / 21–अ / प्रारू. / छ.ग. / 26.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 06–04–2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026.

अनुक्रमणिका

अध्याय–एक

प्रारंभिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
2. परिभाषाएँ.

अध्याय–दो

अवैध धर्मांतरण का प्रतिषेध

3. अवैध धर्मांतरण का प्रतिषेध.

अध्याय–तीन

धर्मांतरण की प्रक्रियाएँ

4. आशयित धर्मांतरण की घोषणा.
5. धर्मांतरण पर आपत्ति की प्रक्रिया.
6. जाँच करते समय सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ.
7. सक्षम प्राधिकारी का निर्णय.
8. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.
9. धर्मांतरण के बाद की प्रक्रिया.
10. धर्मांतरण का प्रभाव, अवैध धर्मांतरण और धर्मांतरित व्यक्तियों की स्थिति.
11. विधिमान्यता का पर्यवसान.
12. केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया विवाह.
13. धर्मांतरण में सहायक व्यक्तियों द्वारा अनुपालन.
14. प्रत्यावर्तन की सूचना.

अध्याय–चार

अपराध और दंड

15. अवैध धर्मांतरण के पक्षकार.
16. धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड.
17. अपराधों को करने के प्रयास के लिए दंड.
18. धर्मांतरण में सहायक व्यक्तियों द्वारा अनुपालन न करना.
19. प्रकिया का उल्लंघन.
20. पीड़ित का प्रतिकर.
21. अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना.
22. अन्वेषण.

23. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार.
24. साक्ष्य का भार.

अध्याय–पाँच
विशेष न्यायालय

25. विशेष न्यायालयों का पदाभिदान.
26. विशेष न्यायालयों की प्रकिया तथा शक्तियाँ.
27. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति.

अध्याय–छः
विविध

28. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
29. कठिनाइयों का निवारण.
30. नियम बनाने की शक्ति.
31. निरसन और व्यावृत्तियाँ.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026

महिमामंडन, दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या विवाह द्वारा, एक आस्था या धर्म से दूसरे धर्म में, जिसमें डिजिटल माध्यम भी शामिल है, अवैध रूप से धर्मांतरण का, विनियमन और प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तहतरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय–एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएँ.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"प्रलोभन"** से अभिप्रेत है किसी भी रूप में कोई प्रलोभन देना, जिसमें शामिल हैं;
(एक) नकद या वस्तु के रूप में कोई उपहार या परितोषण; या
(दो) मौद्रिक या अन्य कोई भी भौतिक लाभ प्रदान करना; या
(तीन) रोजगार, अनुवृत्ति (सब्सिडी), स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा; या
(चार) विवाह का वादा; या
(पाँच) बेहतर जीवनशैली; या
(छः) किसी भी धर्म के अभ्यास, रीति– रिवाजों और समारोहों या धर्म के किसी भाग को अन्य धर्मों के संबंध में हानिकारक तरीके से प्रस्तुत करना; या

(सात) एक धर्म का दूसरे धर्म के विरुद्ध महिमामंडन करना।

(ख) **"प्रपीड़न"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल का प्रयोग करके, जिससे उसे शारीरिक चोट पहुँचे या उसकी धमकी दी जाये, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध कार्य करने के लिए विवश करना;

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद से निम्न श्रेणी का न हों;

(घ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **"धर्मांतरण"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा अपने आस्था या धर्म का त्याग करना और दूसरा धर्म अपनाना और इसमें शामिल हैं:

(एक) जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों सहित स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं का पालन करना बंद कर देना और उसके स्थान पर किसी अन्य धर्म के अनुष्ठानों को अपनाना; या

(दो) पारंपरिक और/या पैतृक देवताओं की पूजा का त्याग करना या बंद करना, जिसमें उनकी पूजा से संबंधित प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों, त्योहारों या अन्य प्रथागत प्रथाओं को बंद करना और स्वयं की मूल धार्मिक परंपरा से अलग विश्वासों या आस्थाओं को अपनाना और उनका पालन करना शामिल है, जिसके द्वारा जानबूझकर अपनी पारंपरिक प्रथाओं का त्याग करना; या

(तीन) किसी भिन्न मूल के धर्म को स्वीकार करना, जो अपने धर्मशास्त्र के भाग के रूप में धर्मांतरण या अन्यथा की सुविधा प्रदान करता है; या

(चार) अपने पारंपरिक मान्यताओं का पालन करना बंद करते हुए किसी पराये विश्वास या धर्म का पालन करना और साथ ही गैर–धर्मांतरित रहने का दावा करना;

स्पष्टीकरणः– यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म या आस्था में पुनः वापस आता है, तो ऐसी वापसी इस अधिनियम के अंतर्गत धर्मांतरण के रूप में नहीं मानी जाएगी।

(ङ) "धर्मांतरण समारोह" से कोई रीति–रिवाज या औपचारिक प्रक्रिया संदर्भित है, जो किसी व्यक्ति को एक आस्था या विश्वास प्रणाली से किसी दूसरे में परिवर्तित या रूपांतरित करती है;

(च) "डिजिटल मोड" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स, एप्लिकेशन, वेबसाइट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड;

(छ) "बल" में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) में यथा–परिभाषित बल प्रदर्शन या सामाजिक बहिष्कार की धमकी सहित किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने की धमकी शामिल होगी;

(ज) "सामूहिक धर्मांतरण" से अभिप्रेत है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही समारोह में एक धर्म या आस्था से दूसरे धर्म में धर्मांतरण;

(झ) "दुर्व्यपदेशन" से अभिप्रेत है और इसमें शब्दों या कार्यों द्वारा तथ्य का ऐसा कथन शामिल है जो असत्य या भ्रामक हो, जिसे जानबूझकर सत्य होना बताया गया हो, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपना धर्म या आस्था परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करना हो;

(ञ) "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं और उनके एजेंट, अटॉर्नी, प्रतिनिधि, समनुदेशिती या उनकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल होगा;

(ट) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के द्वारा विहित तथा अभिव्यक्ति "विहित" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ठ) "धर्म" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या प्रथा के तहत घोषित और परिभाषित धर्म;

(ड) "धर्म परिवर्तक/धर्मांतरणकर्ता" से अभिप्रेत है किसी भी धर्म या आस्था के किसी व्यक्ति या प्रतिनिधि, जो एक धर्म या आस्था से दूसरे धर्म में धर्मांतरण का कोई कार्य करता है और जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत है;

(ढ) "अनुसूचित जनजातियाँ" का वही अर्थ है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में उनके लिए समनुदेशित किया गया है;

(ण) "अनुचित प्रभाव" से अभिप्रेत है, अनुचित लाभ या फायदा प्राप्त करने के आशय से, वैशवासिक संबंध, वास्तविक या प्रत्यक्ष प्राधिकार या अन्य समान परिस्थितियों से उत्पन्न अधिकार, विश्वास या शक्ति की स्थिति का प्रयोग, किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर हावी होने और ऐसे व्यक्ति को उसकी स्वतंत्र इच्छा या सर्वोत्तम हितों के विपरीत कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए किया जाये;

(त) "अवैध धर्मांतरण" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी धर्मांतरण, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नही है।

(थ) "पीड़ित" से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति या उसके माता–पिता, भाई–बहन, पति/पत्नी, बच्चे या रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा उनसे संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, जिसका इस अधिनियम के तहत निर्धारित गैरकानूनी धर्मांतरण किया जा रहा है या किया गया है।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो यहाँ प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं हैं, किन्तु भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33), साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) और छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन संहिताओं/अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

अध्याय–दो
अवैध धर्मांतरण का प्रतिषेध

अवैध धर्मांतरण का प्रतिषेध.

3. (1) कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को एक आस्था या धर्म से दूसरे धर्म में, भौतिक या डिजिटल माध्यम से महिमामंडन, मिथ्या निरूपण, बल, अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन, के उपयोग या अभ्यास द्वारा, धर्मांतरण या धर्मांतरित करने का दुष्प्रेरण या षड़यंत्र नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से धर्मांतरण करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी विदेशी स्त्रोत या संस्था को कोई मौद्रिक लाभ परिदत्त अथवा उपार्जित या प्राप्त नहीं करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को किसी भिन्न धर्म में धर्मांतरित करने के आशय से,

(एक) उस व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में नही डालेगा; या

(दो) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, जिसका आशय या यह जानते हुए कि ऐसा कार्य सामान्यतः पूजा स्थल, मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग लाए जाने वाले किसी भवन को नष्ट नहीं करेगा; या

(तीन) किसी नाबालिग, महिला या किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर, बलपूर्वक या अन्यथा विक्रय कर उनका अवैध व्यापार नहीं करेगा; या

(चार) धर्मांतरण के प्रयोजन से यहाँ वर्णित किसी भी कार्य को करने का दुष्प्रेरण या षड़यंत्र नहीं करेगा।

अध्याय –तीन
धर्मांतरण के लिए प्रक्रिया

आशयित धर्मांतरण की घोषणा.

4. (1) कोई भी व्यक्ति, जो एक आस्था या धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तित होना चाहता है, वह निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र, उस सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त धर्मांतरण किया जाना है।

(2) अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति जो अन्य धर्म में संपरिवर्तित होना चाहता है, वह निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र उस सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त धर्म परिवर्तन किया जाना है।

(3) धर्म परिवर्तक या प्रीस्ट या मौलवी, फादर या धर्मांतरण का धार्मिक अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रारूप के अनुसार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के आशय की घोषणा उस सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र की

स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त धर्मांतरण किया जाना है।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त उप–धाराओं के अंतर्गत सभी अपेक्षित सूचनाओं के प्राप्त होने पश्चात्, निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण प्रपत्र प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के विवरण को इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और तहसीलदार, ग्राम पंचायत और स्थानीय पुलिस थाने के कार्यालयों में प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की सूचना प्रदर्शित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना में आवेदक का नाम, वर्तमान धर्म या आस्था और प्रस्तावित धर्म शामिल हो।

(5) उप–धारा (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन किये जाने पर प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन किये जाने का प्रभाव अवैध तथा शून्य हो जाएगा।

धर्मांतरण पर आपत्ति की प्रक्रिया.

5. कोई भी व्यक्ति, धारा 4 की उप–धारा (4) के अधीन आशयित धर्मांतरण की सूचना प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस की समाप्ति के पूर्व, प्रस्तावित धर्मांतरण और उसके परिणामों पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखित में आपत्ति कर सकेगा।

जाँच करते समय सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ.

6. इस अधिनियम के अंतर्गत घोषणा, आपत्ति, सूचना, शिकायत या स्वप्रेरणा से की गई किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारी की शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनके अल्पीकरण में।

जाँच के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में जाँच के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय में निहित सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात:—

(क) गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) प्रकटन और निरीक्षण;

(ग) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(घ) शपथपत्रों के साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) गवाहों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 229 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी का निर्णय.

7. (1) सक्षम प्राधिकारी, या तो शिकायत पर या स्वप्रेरणा से, आशयित धर्मांतरण की घोषणा एवं आपत्ति पर तथा अवैध धर्मांतरण की सूचना पर जांच करेगा और तीस दिनों की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी जाँच के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है,–

(क) वह संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को प्रतिवेदन भेजेगा; तथा

(ख) वह घोषणा को निरस्त करेगा।

(3) यदि आवेदन में कोई अवैधता नहीं पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आवेदन वैध है।

सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन जारी आदेश के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है जहाँ सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय स्थित है।

धर्मांतरण के बाद की प्रक्रिया.

9. (1) धर्मांतरित व्यक्ति, धर्मांतरण की तारीख से तीस दिवस के भीतर, निर्धारित प्रारूप के अनुसार, एक घोषणा पत्र उस सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके समक्ष धारा 4 के अधीन घोषणा प्रस्तुत की गई थी।

(2) उप–धारा (1) का उल्लंघन किये जाने पर प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन किये जाने का प्रभाव अवैध तथा शून्य हो जायेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी उप–धारा (1) में घोषणा प्रस्तुत करने के इक्कीस दिनों के भीतर धर्मांतरित व्यक्ति को अपनी पहचान सत्यापित करने और घोषणा की विषय–वस्तु की पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा। विधिवत सत्यापन

के बाद, सक्षम प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप के अनुसार धर्मांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) उप–धारा (3) के अंतर्गत जारी धर्मांतरण प्रमाणपत्र, इस बात का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा कि धर्मांतरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

स्पष्टीकरणः– सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया धर्मांतरण प्रमाण पत्र, नागरिकता या पहचान का प्रमाण नहीं माना जायेगा।

धर्मांतरण का प्रभाव, अवैध धर्मांतरण और धर्मांतरित व्यक्तियों की स्थिति.

10. सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में धर्मांतरित व्यक्ति को धर्मांतरण प्रमाणपत्र जारी करने पर, अपने आधिकारिक अभिलेखों में ऐसे व्यक्ति की स्थिति को लिखित रूप में अद्यतन करेगा, जैसा की विहित किया जाये।

विधिमान्यता का पर्यवसान.

11. (1) यदि, धारा 7 की उप–धारा (1) के अंतर्गत धर्मांतरण के लिए आवेदन, वैध निर्धारित की जाने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर धर्मांतरण नहीं किया जाता है, तो ऐसा आवेदन पर्यवसित माना जायेगा।

(2) आवेदन के पर्यवसान के बाद किया गया कोई भी धर्मांतरण अवैध माना जाएगा और वह धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण होगा।

केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया विवाह.

12. (1) जहाँ एक धर्म या आस्था का कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म या आस्था के व्यक्ति के साथ किसी संस्था, धार्मिक स्थान, निजी या सार्वजनिक परिसर में विवाह करता है:–

(एक) फादर, प्रीस्ट, मौलवी या ऐसे विवाह को संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति; और

(दो) विवाह करने वाला व्यक्ति,

विवाह की प्रस्तावित तिथि से साठ दिवस पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी अपने अधिकारिक वेबसाइट में घोषणा को प्रकाशित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी यह जाँच करेगा कि क्या ऐसे विवाह का आशय अवैध संपरिवर्तन है।

(3) उपरोक्त उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त सूचना के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, 45 दिनों के भीतर जाँच पूर्ण करेगा।

(4) जाँच के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्यवाही कर सकता है।

(5) जहाँ एक धर्म या आस्था का कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म या आस्था के व्यक्ति के साथ विवाह करता है और ऐसे विवाह से पहले या बाद में धर्मांतरण करता है, और ऐसा धर्मांतरण केवल विवाह के उद्देश्य से या विवाह धर्मांतरण के उद्देश्य से है, तो धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा, यदि यह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

स्पष्टीकरणः– इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह स्वतः ही धर्मांतरण का कारण नहीं बनेगा। धर्मांतरण के लिए इस अधिनियम में निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और केवल विवाह करना ही किसी भी धार्मिक धर्मांतरण को वैध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

धर्मांतरण में सहायक व्यक्तियों द्वारा अनुपालन.

13. (1) कोई भी व्यक्ति, जो धर्मांतरण में सहायता करता है, उसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से निर्धारित प्रारूप में, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाये, पंजीयन हेतु अपना विवरण प्रदान करना होगा, जो इस आशय का एक अभिलेख रखेगा।

(2) धर्मांतरण में सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति, आरंभ किए गए या पूर्ण किए गए प्रत्येक धर्मांतरण के संबंध में सहायक दस्तावेजों के साथ, जैसा कि विहित किया जाये, अभिलेख संधारित करेगा।

(3) धर्मांतरण में सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साठ दिवस के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगीः–

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए गए और पूर्ण किए गए धर्मांतरणों की कुल संख्या, धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम, आयु, लिंग और पता सहित विवरण; और

(ख) प्राप्त सभी धनराशियों (घरेलू या विदेशी) का विवरण देने वाली एक प्रमाणित वित्तीय लेखा

परीक्षा रिपोर्ट।

(4) ऐसे अभिलेख प्रत्येक धर्मांतरण की तिथि से बनाए रखे जाएँगे और आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे।

(5) सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

(क) धर्मांतरण की प्रामाणिकता सत्यापित करना और इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना;

(ख) धर्मांतरण से संबंधित शिकायतों या व्यथाओं की जाँच करना।

(ग) किसी भी व्यक्ति को अभिलेख की जाँच या प्रस्तुत करने के लिए आहुत करना।

(6) इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से, कोई भी व्यक्ति भारत के भीतर या बाहर से दान, अनुदान या अंशदान स्वीकार नहीं करेगा।

(7) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई वित्तीय सहायता, अनुदान या बुनियादी ढाँचा सहायता प्रदान नहीं करने या उसे वापस लेने या रद्द करने के संबंध में समुचित कदम उठायेगा।

प्रत्यावर्तन की सूचना.

14. (1) यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म या आस्था में वापस लौटता है, तो ऐसे प्रत्यावर्तन की सूचना प्रत्यावर्तन से पहले या बाद में निर्धारित प्रारूप, जैसा कि विहित किया जाये, में सक्षम प्राधिकारी को दी जायेगी।

(2) इसके बाद सक्षम प्राधिकारी धर्मांतरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का आदेश पारित करेगा; ऐसे मामलों में, जहाँ धर्मांतरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, सक्षम प्राधिकारी सूचना के अनुसरण में व्यक्ति के अपने पैतृक धर्म या आस्था में वापस लौटने को दर्ज करते हुए एक औपचारिक आदेश पारित कर सकता है और उसके बाद सूचना निर्धारित तरीके से प्रकाशित की जाएगी।

(3) एक बार जब उप–धारा (1) के तहत एक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सूचना प्रस्तुत कर दी जाती है, तो प्रत्यावर्तन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा।

अध्याय–चार
अपराध और दंड

अवैध धर्मांतरण के पक्षकार.

15. जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध में भाग लेने वाला माना जाएगा और उस अपराध का दोषी होगा और उस पर इस प्रकार आरोप लगाया जाएगा, मानो उसने वास्तव में उक्त अपराध किया हो, अर्थातः–

(क) व्यक्ति, जो अपराध कारित करने में किसी दूसरे व्यक्ति को सक्षम बनाने या सहायता करने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है या करने का लोप करता है; या

(ख) व्यक्ति, जो वास्तव में वह कार्य करता है, जो अपराध का गठन करता है; या

(ग) व्यक्ति, जो अपराध कारित करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है, उसे दुष्प्रेरित करता है या उसके साथ षड़यंत्र रचता है; या

(घ) व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए परामर्श देता है, उसे राजी करता या प्राप्त करता है।

धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड.

16. (1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 की उप–धारा (1) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है, किसी भी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो पाँच लाख रुपये से कम नही होगा, से दण्डित किया जायेगा; परंतु न्यायालय, किन्ही पर्याप्त या विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किये जायेंगे, कारावास की अवधि को कम कर सकेगाः

परंतु, यदि उक्त अपराध किसी नाबालिग, विकृत चित्त व्यक्ति या महिला या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के संबंध में किया जाता है, तो कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो दस लाख रूपये से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जायेगा, परंतु न्यायालय, किन्ही पर्याप्त या

विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किये जायेंगे, कारावास की अवधि को कम कर सकेगा:

परंतु यह और भी कि जो कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना, जो पच्चीस लाख रुपये से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जायेगा, परंतु न्यायालय, किन्ही पर्याप्त या विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किये जायेंगे, कारावास की अवधि को कम कर सकेगा।

(2) किसी लोक सेवक द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के उल्लंघन में अपराध किए जाने की स्थिति में, किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना, जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 की उप–धारा (2) में अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कठोर कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो बीस लाख रुपये से कम नहीं होगा, से दंडित किया जाएगा, परंतु न्यायालय, किन्ही पर्याप्त या विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किये जायेंगे, कारावास की अवधि को कम कर सकेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 की उप–धारा (3) में अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कठोर कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नही होगी, किंतु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो तीस लाख रुपये से कम नहीं होगा, से दंडित किया जाएगा, परंतु न्यायालय, किन्ही पर्याप्त या विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किये जायेंगे, कारावास की अवधि को कम कर सकेगा:

परंतु, ऐसा जुर्माना, पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास हेतु न्यायसंगत और उचित होगा।

(5) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया गया है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के

लिए आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा; जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, परंतु न्यायालय, किन्ही पर्याप्त या विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किये जायेंगे, कारावास की अवधि को कम कर सकेगा।

अपराधों को करने के प्रयास के लिए दंड.

17. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास के आधे तक या ऐसे अर्थदण्ड से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या यथास्थिति, दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धर्मांतरण में सहायक व्यक्तियों द्वारा अनुपालन न करना.

18. (1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 12 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 13 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

प्रकिया का उल्लंघन.

19. जो कोई धारा 4 एवं 9 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगी, से दंडित किया जायेगा।

पीड़ित का प्रतिकर.

20. न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किये गए किसी भी दंड के अतिरिक्त, अभियुक्त को, अवैध धर्मांतरण के पीड़ित को उचित प्रतिकर देने का निर्देश देगा, जो अधिकतम दस लाख रुपये तक हो सकेगा।

अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना.

21. (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भीः—

(क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा;

(ख) धारा 16, 17 और 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को, जमानत या उसके स्वयं के बंधपत्र पर रिहा

नहीं किया जायेगा, जब तक कि–

(एक) विशेष लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई का अवसर दिया गया हो; और

(दो) जहाँ, विशेष लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

(2) उप–धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट जमानत देने पर प्रतिबंध, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) या जमानत प्रदान करने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 482 की कोई बात, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित किसी मामले में लागू नहीं होगी।

अन्वेषण.

22. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण, पुलिस उप–निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार.

23. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध की जाँच और विचारण, अनन्य रूप से विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया हो।

सबूत का भार.

24. इस तथ्य के सबूत का भार कि कोई धर्मांतरण, दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन के माध्यम से या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नहीं है, उस व्यक्ति पर, जिसने धर्मांतरण कराया है और जहां ऐसा धर्मांतरण किसी व्यक्ति द्वारा सुकर बनाया गया हो वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।

अध्याय–पाँच
विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालयों का पदाभिदान.

25. (1) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करेगा।

(2) जहाँ किसी क्षेत्र के लिए कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं है, वहाँ प्रादेशिक अधिकारिता वाले सत्र न्यायालय, ऐसे पदाभिदान तक विशेष न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया तथा शक्तियाँ.

26. (1) विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान, अभियुक्त को विचारण के लिए उसके समक्ष उपार्पित किये बिना, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है।

(2) विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियाँ, सभी उपस्थित साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन–प्रतिदिन जारी रखी जाएगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन के आगे स्थगित करना आवश्यक न समझे:

परन्तु, जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित हो, तो सुनवाई, जहाँ तक संभव हो, अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह के कालावधि के भीतर पूरी की जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति.

27. प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।

अध्याय–छः
विविध

28. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारियों के विरूद्ध, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों या कृत्यों के प्रयोग में सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने हेतु आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.

29. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु, ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे। कठिनाइयों का निवारण.

30. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे। नियम बनाने की शक्ति.

31. (1) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 (क्र. 27 सन् 1968) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 (क्र. 27 सन् 1968) के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी। निरसन और व्यावृत्तियाँ.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 अप्रैल 2026

क्रमांक 767/डी. 50/21–अ/प्रारू./छ.ग./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No 6 of 2026)

THE CHHATTISGARH DHARMA SWATANTRYA ACT, 2026.

INDEX

CHAPTER-I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title, extent and commencement.

2. Definitions.

CHAPTER-II

PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION

3. Prohibition of unlawful conversion.

CHAPTER-III

PROCEDURE FOR CONVERSION

4. Declaration of intended conversion.

5. Procedure on objection to conversion.

6. Powers of Competent Authority while conducting an inquiry.

7. Decision of the Competent Authority.

8. Appeal against order of Competent Authority.

9. Post conversion procedure.

10. Effect of religious conversion, unlawful conversion and status of converted individuals.

11. Validation deemed to have lapsed.

12. Marriage done for sole purpose of Conversion.

13. Compliance by persons facilitating conversion.

14. Intimation of reversion.

CHAPTER-IV

OFFENCES AND PENALTIES

15. Parties to unlawful conversion.

16. Punishment for contravention of the provisions of Section 3.

17. Punishment for attempt to commit offences.

18. Non-Compliance by persons facilitating conversion.

19. Contravention of procedure.

20. Victim compensation.

21. Offence to be cognizable and non-bailable.

22. Investigation.

23. Territorial Jurisdiction.

24. Burden of proof.

CHAPTER-V

SPECIAL COURTS

25. Designation of Special Courts.

26. Procedure and Powers of Special Courts.

27. Appointment of Special Public Prosecutor.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

28. Protection of action taken in good faith.

29. Removal of difficulties.

30. Power to make rules.

31. Repeal and Savings.

CHHATTISGARH ACT

(No 6 of 2026)

THE CHHATTISGARH DHARMA SWATANTRYA ACT, 2026.

An Act to provide for regulation and prohibition of unlawful conversion from one faith or religion to another faith or religion by glorification, misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage, including through digital mode and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-*seventh* Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER- I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 2026.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoints and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Allurement**" means to offer any enticing in any form, including,-

(i) any gift or gratification either in cash or kind; or

(ii) grant of any material benefit either monetary or otherwise; or

(iii) employment, subsidy, free education in school, medical facility; or

(iv) promise to marry; or

(v) better lifestyle; or

(vi) portraying practice, rituals and ceremonies or any part of any religion in a detrimental way vis-à-vis other religions; or

(vii) glorifying one religion against another religion.

(b) "**Coercion**" means compelling any person to act against his will by the use of psychological pressure or physical force causing bodily injury or threat thereof;

(c) "**Competent Authority**" for the purposes of this Act means District Magistrate or any officer not below the rank of Additional District Magistrate specially authorized by District Magistrate;

(d) "**Conversion**" for the purposes of this Act, means renouncing one's own faith or religion and adopting another religion by any person; and includes,-

(i) ceasing to perform native customary practices, including rituals related to birth, marriage and death and replacing them with rituals of another religion; or

(ii) renouncing or ceasing the worship of traditional and/or ancestral deities, including discontinuing prayers,

rituals, festivals or other customary practices associated with their veneration by adopting and practicing beliefs or faith's alien to one's native religious tradition, thereby willfully abandoning one's customary practices; or

(iii) accepting a religion of a different origin, that provides for proselytization or otherwise as part of its theology; or

(iv) practicing an alien faith or religion while ceasing to adhere to one's traditional beliefs and simultaneously claiming to remain non-converted.

Explanation:- If any person reverts to their ancestral religion or faith, such reversion shall not be deemed as conversion under this Act.

(e) "**Conversion ceremony**" refers to ritual or formal process making an individual's transition or conversion from one faith or belief system to another:

(f) "**Digital mode**" means and includes, social media networking sites, applications, websites and the other electronic modes;

(g) "**Force" shall** include a show of force as defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023) or a threat of injury of any kind including threat of social excommunication;

(h) "**Mass conversion**" means two or more persons are converted from one faith or religion

to another religion in the same ceremony;

(i) "**Misrepresentation**" means and includes statement of fact by words or action(s), which is untrue or misleading, made knowingly as to its truth, with the intention to induce a person to convert their faith or religion;

(j) "**Person**" shall include an individual or any company or association or body of individuals, whether incorporated or not and their agent, attorney, representative, assignee or any other person acting on their behalf;

(k) "**Prescribe**" means prescribed by rules made under this Act and the expression "prescribed" shall be construed accordingly;

(l) "**Religion**" means the religion declared and defined under any law or custom for the time being in force;

(m) "**Religious Convertor/Proselytizer**" means a person or agent of any religion or faith who performs any act of conversion from one faith or religion to another religion and is registered with Competent Authority :

(n) "**Scheduled Tribes**" shall have the meaning assigned to them under clause (25) of Article 366 of the Constitution of India;

(o) "**Undue Influence**" means the use of a position of authority, trust or power, arising from a fiduciary relationship, real or apparent authority or other similar circumstances, to dominate the will of another person and induce such person to

act contrary to their free will or best interests, with the intent to secure an unfair benefit or advantage;

(p) "**Unlawful Conversion**" means any conversion not in accordance with the provisions of this Act;

(q) "**Victim**" means any person or their parents, siblings, spouse, children or any other individual related to them by blood, marriage or adoption who is being and has been subjected to unlawful conversion prescribed under this Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), and The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), The General Clauses Act, 1897 (No. 10 of 1897); and any other law applicable in the State of Chhattisgarh, shall have the meanings respectively assigned to them in those Codes/Acts.

CHAPTER-II

PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION

Prohibition of unlawful conversion.

3. (1) No person shall, either directly or otherwise, convert or abet or conspire against any other person or persons for conversion from one faith or religion to another religion by use or practice of

glorification, misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, through physical or digital mode.

(2) No person shall give or receive or obtain any monetary benefit directly or indirectly to any foreign source or institution, for the purpose of carrying out a conversion by any of the means specified in sub-section (1).

(3) No person shall, with the intent to convert another person to a different religion,

(i) put such person in fear of their life or property; or

(ii) commit mischief by fire or any explosive substance, intending to cause, or knowing it to be likely that such act will cause, the destruction of any building ordinarily used as a place of worship, human dwelling or for the custody of property; or

(iii) traffic a minor, a woman or any person by enticing, coercing or otherwise selling them; or

(iv) abet or conspire to commit any of the acts mentioned hereinabove for the purpose of conversion.

CHAPTER-III

PROCEDURE FOR CONVERSION

4. (1) Any person who desires to convert from one **Declaration of Intended**

Conversion.

faith or religion to another religion shall submit a declaration in the format as may be prescribed, to the Competent Authority within the local limits of whose jurisdiction the said conversion is to be performed.

(2) Any person belonging to the Scheduled Tribes who desires to convert to another religion shall submit a declaration in the format as may prescribed, to the Competent Authority within the local limits of whose jurisdiction the said conversion is to be performed.

(3) Any religious convertor or the priest, maulvi, father or any other person performing the rituals of the religious conversion shall submit a declaration, in the format as may be prescribed, to the Competent Authority within the local limits of whose jurisdiction the said conversion is to be performed.

(4) The Competent Authority, within 7 days, after receiving required information under the above sub-sections, shall publish the particulars of the proposed conversion on its official website to be maintained by the Competent Authority under this Act and display a notice of proposed conversion at the offices of the Tahsildar, Gram Panchayat, place of residence of the applicant and the local police station and ensure that the notice includes the applicant's name, current faith or religion, and proposed religion.

(5) Contravention of sub-section (1), (2) and (3) shall have the effect of rendering the proposed

conversion, illegal and void.

5. Any person may, before the expiration of thirty days from the date on which the notice of intended conversion has been published under sub-section (4) of Section 4, object to the proposed conversion to the competent authority in writing. **Procedure on objection to conversion.**

6. For the purpose of any inquiry conducted under this Act on declaration, objection, intimation, complaint or suo-moto, the powers of the Competent Authority shall be in addition to, and not in derogation of, the powers of the police authority under the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) for any offence committed under this Act. **Powers of Competent Authority while conducting an inquiry.**

The Competent Authority for the purpose of inquiry shall have all the powers vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), during inquiry in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath;

(b) discovery and inspection;

(c) compelling the production of documents;

(d) reception of evidence on affidavits; and

(e) issuing commissions for the examination of witnesses;

and any proceeding before the Competent Authority shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Section 229 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023).

7. (1) The competent authority shall either on complaint or suo-moto conduct an inquiry into the declaration and objection of intended conversion and intimation of unlawful conversion and pass final order within a period of thirty days. **Decision of the Competent Authority.**

(2) Upon conclusion of such inquiry, if the Competent Authority concludes, that an offence is committed under this Act, -

(a) he shall send a report to the concerned police authorities; and

(b) he shall reject the declaration.

(3) If no illegality is found in the application then the Competent Authority may conclude that the application is valid.

8. Any person aggrieved by an order of the Competent Authority passed under sub-section (1) of Section 7 may, within thirty days from the date of such order, prefer an appeal to the Principal District Judge having jurisdiction over the area where office of the Competent Authority is situated. **Appeal against order of Competent Authority.**

9. (1) The converted person shall submit a declaration as per prescribed format within thirty days of the date of conversion, to the Competent Authority before whom the declaration under **Post conversion procedure.**

Section 4 was submitted.

(2) Contravention of sub-section (1) shall have effect of rendering the proposed conversion, illegal and void.

(3) The Competent Authority shall require the converted person to appear in person within twenty-one days of submitting the declaration in sub-section (1), to verify their identity and confirm the contents of the declaration. Upon due verification, the Competent Authority shall issue a Certificate of Conversion as per prescribed format.

(4) The Certificate of Conversion issued under sub-section (3) shall be deemed conclusive evidence that the conversion was conducted in accordance with the provisions of this Act.

Explanation: The conversion certificate issued by the Competent Authority shall not be treated as proof of citizenship or identity.

10. The Competent Authority, shall upon issuance of Conversion Certificate to the person who is converted in pursuant to the provisions of this Act, update the status of such individual in its official records in writing as may be prescribed.

Effect of religious conversion, unlawful conversion and status of converted individuals.

11. (1) If the conversion is not carried out within a period of ninety days from the date on which the application for conversion is held valid under sub-section (1) of Section (7), such application shall be deemed to have been lapsed.

Validation deemed to have lapsed.

(2) Any conversion carried out after the lapse of the application shall be deemed unlawful and such conversion shall be held as 'unlawful conversion'.

Marriage done for sole purpose of Conversion.

12. (1) Where any person of one religion or faith enters into a marriage with a person of another religion or faith, in any institution, religious place, private or public premises, -

(i) the father priest, maulvi or any other person responsible for solemnizing such marriage; and

(ii) persons entering into the marriage,

shall sixty days prior to the proposed date of marriage, submit a declaration to the Competent Authority in the format as may be prescribed. The Competent Authority shall also publish the notice of declaration on its official website.

(2) The Competent Authority shall inquire whether the intention of such marriage is for unlawful conversion.

(3) The Competent Authority in pursuant to the intimation as provided under sub-section (1) above shall conclude the inquiry within 45 days as per Section 6 of this Act.

(4) The Competent Authority in pursuant to the inquiry may take appropriate action under the provisions of this Act.

(5) Where any person of one religion or faith enters into a marriage with a person of another

religion or faith, and converts either before or after such marriage and such conversion is solely for the purpose of marriage or marriage is for the purpose of conversion, the conversion shall be deemed unlawful, if it is not in accordance with the provisions of this Act.

Explanation.- Marriage shall not ipso facto lead to conversion under this Act. Conversion must follow the legal procedures laid down in this Act, and the mere act of marriage shall not be sufficient to validate any religious conversion.

Compliance by persons facilitating conversion.

13. (1) Any person who facilitates conversion shall from the date of the enforcement of this Act, shall provide its details in format as may be prescribed to the Competent Authority for registration, who shall maintain a record to this effect.

(2) Any person facilitating conversion shall maintain a record as may be prescribed with supporting documentation with regard to every conversion initiated or completed.

(3) Every person facilitating conversions shall, within sixty days of the end of each financial year, submit an annual report in prescribed format to the Competent Authority, containing the following:

(a) the total number of conversions initiated and completed, details including the name, age, gender and address of the person(s) converting, thereof during the financial year; and

(b) A certified financial audit report detailing all funds received (domestic or foreign).

(4) Such records shall be maintained from the date of each conversion and shall be made available for inspection by the Competent Authority as and when required.

(5) The Competent Authority shall have the power to,-

(a) verify the authenticity of conversions and ensure adherence to the procedures prescribed under this Act;

(b) investigate complaints or grievances relating to conversions:

(c) Summon any person for examination or production of records.

(6) No person shall accept donations, grants or contributions from within or outside India for the purpose of violating the provisions of this Act.

(7) The State Government may take appropriate steps not to provide or to retract or cancel any such financial aid, grant or infrastructure support to any person violating the provisions of this Act.

Intimation of reversion.

14. (1) If any person reverts to their ancestral religion or faith, such reversion shall be intimated to the Competent Authority in the format as may be prescribed before or after the reversion.

(2) The Competent Authority may thereafter pass an order for cancellation of the conversion certificate; in cases where conversion certificate

is not issued the Competent Authority may pass a formal order recording the reversion of the person to their ancestral religion or faith in pursuant to the intimation and thereafter the information shall be published in the manner as may be prescribed.

(3) Once an intimation under sub-section (1) is submitted by a person before the Competent Authority, the reversion shall be deemed to be legal for all practical purposes.

CHAPTER-IV
OFFENCES AND PENALTIES

Parties to unlawful conversion.

15. When an offence is committed under this Act, each of the following shall be deemed to have taken part in committing the offence and shall be guilty of the offence and shall be charged as if he has actually committed the said offence, that is to say:-

(a) person who does or omits to do any act for the purpose of enabling or aiding another person to commit the offence; or

(b) person who actually does the act which constitutes the offence; or

(c) person who aids, abets or conspires with another person in committing the offence; or

(d) person who counsels, convinces or

procures any other person to commit the offence.

Punishment for contravention of the provisions of Section 3.

16. (1) Any person contravening the provisions contained in sub-section (1) of Section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punishable with imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years but which may extend to ten years and fine which shall not be less than five lakh rupees; provided that court may, reduce imprisonment for any adequate or special reasons to be recorded in the judgment:

Provided that, in case the said offence is committed in respect of a minor, a person of unsound mind or a woman or a person belonging to the Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes, the imprisonment shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and fine which shall not be less than ten lakh rupees; provided that court may, reduce imprisonment for any adequate or special reasons to be recorded in the judgment:

Provided further that, whoever contravenes the provisions of Section 3 in respect of mass conversion shall be punishable with rigorous imprisonment which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, which shall imprisonment for the remainder of that person's natural life, and fine which shall not be less than twenty-five lakh rupees; provided

that court may, reduce imprisonment for any adequate or special reasons to be recorded in the judgement.

(2) In case of offences in contravention of sub-section (1) of Section 3 by a public servant, the same shall be punishable with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and fine which shall not be less than ten lakh rupees.

(3) Any person contravening the provisions contained in sub-section (2) of Section 3 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and fine which shall not be less than twenty lakh rupees; provided that court may, reduce imprisonment for any adequate or special reasons to be recorded in the judgement.

(4) Any person contravening the provisions contained in sub-section (3) of Section 3, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and fine which shall not be less than thirty lakh rupees; provided that court may, reduce imprisonment for any adequate or special reasons to be recorded in the judgement.

Provided that, such fine shall be reasonable and appropriate for medical expenses

and rehabilitation of the victim.

(5) Whoever, having previously been convicted for the offence under this Act, is again convicted of an offence punishable under this Act, shall, for every such subsequent offence, be liable to a punishment for life imprisonment, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life, provided that court may, reduce imprisonment for any adequate or special reasons to be recorded in the judgment.

Punishment for attempt to commit offences.

17. Whoever attempts to commit any offence punishable under this Act shall be punished with one-half of the imprisonment provided for that offence or with such fine as provided for the offence, or with both, as the case may be.

Non-Compliance by persons facilitating conversion.

18. (1) Any person who fails to comply with the provisions under Section 12, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine which may extend to two lakh rupees.

(2) Any person who fails to comply with the provisions of Section 13 shall be punishable with imprisonment of either description for a term which shall not be less than six months but which may extent to three years and with fine which may extend to one lakh rupees.

Contravention of procedure.

19. Whoever contravenes the provisions of Section 4 and 9 shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months but

may extend to three years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees ten thousand.

Victim compensation.

20. The court shall, in addition to any punishment imposed under this Act, direct the accused to pay appropriate compensation to the victim of an unlawful conversion, which may extend to a maximum of ten lakh rupees.

Offence to be cognizable and non-bailable.

21. (1) Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023),-

(a) every offence punishable under this Act shall be cognizable and non-bailable;

(b) no person accused of an offence punishable under Sections 16, 17 and 18 shall be released on bail or on his own bond, unless-

(i) the Special Public Prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application for such release; and

(ii) where the Special Public Prosecutor opposes the application, the Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(2) The restrictions on granting of bail specified in clause (b) of sub-section (1) shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of the

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) or any other law for the time being in force relating to grant of bail.

(3) Nothing in Section 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this Act.

Investigation.

22. Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) investigation into an offence under this Act shall be conducted by an officer not below the rank of a Sub-Inspector of Police.

Territorial Jurisdiction.

23. Every offence under this Act shall be inquired into and tried exclusively by the Special Court designated for the area in which the offence is committed.

Burden of proof.

24. The burden of proof as to whether a religious conversion was not effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage, lies on the person who has caused the conversion and, where has conversion has been facilitated by any person, on such other person.

CHAPTER-V

SPECIAL COURTS

Designation of special courts.

25. (1) For the purpose of providing speedy trial of offences under this Act, the State Government

shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, designate for each district a court of session to be a Special Court to try the offences under this Act.

(2) In case where no Special Court is designated for an area, the Sessions Court having territorial jurisdiction shall exercise the powers of the Special Courts until such designation.

Procedure and Powers of Special Courts.

26. (1) A Special Court may take cognizance of any offence, without the accused being committed to it for trial, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence, or upon a police report of such facts.

(2) In every trial in the Special Court, the proceedings shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Special Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing:

Provided that, when the trial relates to an offence under this Act, the trial shall, as far as possible, be completed within a period of six months from the date of filing of the final report.

Appointment of Special Public Prosecutor.

27. The State Government shall, by notification, appoint a Special Public Prosecutor for every Special Court.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

28. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the officers duly authorized by the State Government, for any act done or purported to be done in good faith in the exercise of powers or functions under this Act. **Protection of action taken in good faith.**

29. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear it to be necessary or expedient for removal of difficulty: **Removal of difficulties.**

Provided that, no such power shall be exercised after expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every Order made under sub-section (1), shall be laid as soon as may be after it is made, on the table in the Vidhan Sabha.

30. (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.. **Power to make rules.**

(2) All rules made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, on the table in the Vidhan Sabha.

Repeal and Savings.

31. (1) The Chhattisgarh Dharma Swatantraya Adhiniyam, 1968 (No. 27 of 1968) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Chhattisgarh Dharma Swatantraya Adhiniyam. 1968 (No. 27 of 1968) shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.